भामाशाह सुविधा शिविर

दिनांक 25.07.2016 से 05.08.2016 के मध्य आयोजित भामाशाह सुविधा शिविरों में आमजन की भागीदारी व उत्साह तथा जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के मध्य राज्य के प्रत्येक ब्लॉक के मुख्यालय व दो अन्य स्थानों तथा नगरनिकायों में एक से दो दिन के लिए भामाशाह सुविधा शिविरों के द्वितीय चरण आयोजित किये जाऐंगे।

पूर्व की भांति इन शिविरों में भी भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के व्यापक प्रचार–प्रसार तथा आमजन को इस संबंध में आने वाली शंकाओं/समस्याओं के समाधान हेतु ये शिविर आयोजित किए जाऐंगे और शिविरों में उपखण्ड अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ–साथ बैंकिंग सेवाओं के प्रतिनिधि, ई–मित्र संचालक आदि उपस्थित रहकर आमजन को योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ आमजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नरेगा, छात्रवृति आदि योजनाओं से संबंधित लाभ प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का मौके पर ही निराकरण कराऐंगे।इन शिविरों में आमजन को योजना के लाभ, पॉसमशीन से राशन वितरण, माइक्रो एटीएम से राशि आहरण तथा बायोमैट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया समझायी जाएगी।

राज्य सरकार की बजट घोषणानुसार ऐसे गांव जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहाँ ई–मित्र पे–पाइन्ट स्थापित किये जाने है। राज्य में 15000 से अधिक ई–मित्र पे पाइन्ट खोले जाने है इस हेतु शिविरों में इच्छुक युवाओं से आवेदन भी प्राप्त किये जायेंगे।